न्यायालय, अपर समाहर्ता, मधुबनी।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख...तक

जिला.............मधुबनी ..संख्या.– 109/18–19,

वाद का प्रकार : बिहार भूमि सुधार एवं अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम की धारा– 16(3) अरिया सिलिंग अपील वाद

अर्जीकारः– बौधी देवी अन्य

प्रतिपक्षीः–बृजमोहन यादव वगैरह

आदेश का क्रम संख्या और तारीख		आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
01.6.19	यह अपील वाद की प्रक्रिया भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपट्टी के न्यायालय वाद संख्या–01/2011–12 में दिनांक–02.06.18 को पारित आदेशके विरूद्ध प्रारम्भ हुई। प्रक्रिया संचालन के कम में सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभार, बिहार, पटना के पत्रांक–235(8)/रा0 दिनांक–05.04.2019 से बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशेधन) अधिनियम 2019(बिहार अधिनियम 6, 2019) के अधिसूचना की गजट की प्रति जो विधि विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना सं0 एल0जी0–01–15/2018/1569/लेज दिनांक–25.02.2019 द्वारा अधिसूचना की संसूचित की गई है जिसमें अधिनियम 1961 की धारा–16 की उप धारा (3) को निरसित की गई है। उक्त अधिनियम की धारा–16 में निम्नलिखित नई उप धारा– (4) जोड़ी गई है:– "(4)(i) इस अधिनियम की धारा–16 की उप धारा–(3) के निरसन के पश्चात् राज्य सरकार, राजस्व पर्षद, बिहार भूमि न्यायाधिकररण, प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्ता, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता अथवा किसी अन्य न्यायालय में लंबित सभी मामले अथवा कार्यवाही उपशमित समझी जायेगी। (ii) इस अधिनियम की धारा–16 की उप धारा–(3) को निरसन के अनुसरण में पहले वैधरूप से जमा की गई क्रय राशि उसके 10% के समतुल्य राशि के साथ, जमाकर्ता को बिना सूद के लौटा दी जायेगी। चूँकि विभागीय अधिसूचना के अनुसार धारा–16(3) को उपशमित कर दी गई है इसलिए इस न्यायालय में प्रक्रियाधीन उक्त वाद की कार्यवाही को उपशमित समझा जाय। आदेश की प्रति के साथ विभागीय अधिसूचना के आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख वापस लौटावें। लेखापित अपर समाहर्ता 1.6.19 अपर समाहर्ता, मधुबनी। 1.6.19	